


:: कार्यालय निदेशक , माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ::

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य विषय हिन्दी में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता हिन्दी को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (श्री/श्रीमती/सुश्री)	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	सुनीता कुमारी, जे.पी.जानू झुंझुनूं	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफ1 (23-05) RPSC/ Appt/HRD/2017/4638 दिनांक- 05/10/18

विभाग छोड़ने के बाद वर्तमान धारित पद पर स्थाईरूप से कार्यरत होने वाले कार्मिकों का नियमानुसार दो वर्ष तक लियन रहेगा। साथ ही संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि जिन कार्मिकों की ड्युटी निर्वाचन संबंधी कार्य में लगी है, उनको जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति पश्चात ही कार्यमुक्त की कार्यवाही अमल में लावे एवं विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावे।



(नथमल डिडेल)

आईएस

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/कार्यमुक्ति/2018

दिनांक:- 27.10.2018

1. रजिस्ट्रार राजस्थान विधि, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं वरिष्ठ शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर
4. उप शासन सचिव सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
6. संयुक्त निदेशक प्रशासन, कार्यालय हाजा को वरिष्ठता अनुभाग में रिकॉर्ड अपडेशन हेतु।
7. संबंधित मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
8. संबंधित जिशिअ (मा0)
9. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
10. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर